न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 30/2023

अपीलांट्स –	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
तगाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी झरी, जूनेजों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राऊराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी झरी जूनेजों की बस्ती तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 350 दिनांक 04.01.2011 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. रेस्पोडेंट सं. 2 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 09.10.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 350 दिनांक 04.01.2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा झरी में खेत खसरा नंबर 568, 575, 587, 590, 597 रकबा 334–13 बीघा भूमि के खातेदारान तगाराम, राऊराम

जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:02 IST
Reason: SelfAttested

पि0 चेतनराम कौम जाट निवासी झरी सा0 देह खातेदारान ने दिनांक 04.01.2011 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन कर नामान्तरकरण भरवाने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी जूनेजो की बस्ती द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 350 दिनांक 04.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा मौजा झरी में खेत खसरा नंबर 568, 575, 587, 590, 597 रकबा 334–13 बीघा भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा (1) के तहत अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई है। उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त एवं पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजन करने इसके साथ ही पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाने की सहमति दी। जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व नक्शा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:37:02 IST
Reason: SelfAttested

तैयार करने का आश्वासन दिया गया। जिस पर खसरा नंबर 568, 575, 387, 530 के संबंध में कोई उजर एतराज नहीं है परन्तु खसरा नंबर 597 का मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा नहीं किया गया। अपीलकर्ता व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर खरीफ फसल की तैयार की जाने लगी तब उतरदाता संख्या 1 ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त की जाये, जिस पर उतरदाता ने कहा कि मौके की स्थिति, तरमीम में भिन्नता है। जिससे अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा तथा अपीलाधीन आदेश की नकल मांगने पर ही उक्त विभाजन आदेश की जानकारी दिनांक 03.07.2023 को हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा झरी में खेत खसरा नंबर 568, 575, 587, 590, 597 रकबा 334–13 बीघा भूमि खातेदारान तगाराम, राऊराम पि0 चेतनराम कौम जाट निवासी झरी सा0 देह खातेदारान ने

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 04.01.2011 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार कृषि जोतों का आपसी सहमति से विभाजन कर नामान्तरकरण भरवाने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी जूनेजो की बस्ती द्वारा की गई एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दशार्य अनुसार कृषि जोत का विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदार विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक 350 दिनांक 04.01.2011 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.08.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि जब सह खातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये तब भूमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारों के कब्जा का ध्यान रखा जाना था परन्तु वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 597 की किस्म, उपजाऊपन व समतल धोरे आदि के इन अहम मुद्दो को अनदेखा कर भूमि की किस्म के अनुसार बंटवाडा नहीं कर किया गया। पक्षकारान के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा गलत रूप से मुर्तिब किया गया, जिससे भी उक्त बंटवाडा प्रारम्भ से ही दूषित आदेश की श्रेणी में आने से निरस्त योग्य है। पक्षकारान के मध्य खसरा नंबर 597 के संबंध में पूर्व मे हुए बाहामी बंटवाडे एवं भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर काश्त में भारी भिन्नता है। जिससे अपीलांट की ढाणी, बाड़े आदि उतरदाता के कब्जे मे चले गये है जिससे उक्त आदेश एकपक्षीय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के द्वारा खातेदारों की हिस्सों एवं खातेदारी हकूकों के विपरीत अपीलाधीन विभाजन किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:02 IST
Reason: SelfAttested

दूषित होने से अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 350 दिनांक 04.01.2011 **आंशिक** अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा झरी के खसरा नम्बर 597 रकबा 109–06 बीघा का मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:02 IST
Reason: SelfAttested